फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री वेणीराम **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 93/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प पलानाकलां में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भंवरिया पिता भेरा दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम वेणीराम पिता भेरूलाल है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें भंवरिया व वेणीराम को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादी द्वारा अपनी पहचान स्वरूप आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, बिजली बिल की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादी का नाम वेणीराम पिता भेरूलाल दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार भंवरिया व वेणीराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा प्रकाशपुरा पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 128, 139, 142 किता 3 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 83 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी का नाम भंवरिया पिता भेरा के बजाय भंवरिया उर्फ वेणीराम पिता भेरा उर्फ भेरूलाल दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified	

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री वेणीरामा पिता भेरूलाल तेली निवासी गमेतियों की गली ब्रम्हपोल उदयपुर।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 93/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00193

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा प्रकाशपुरा पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 128, 139, 142 किता 3 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 83 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी का नाम भंवरिया पिता भेरा के बजाय भंवरिया उर्फ वेणीराम पिता भेरा उर्फ भेरूलाल दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested